रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 2014/आश्विन 3, 1936
No. 496] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2014/ASAVINA 3, 1936

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2014

सा.का.नि. 684(अ).-- केंद्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (धक) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में यह अधिसूचित करती है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो अपनी स्वयं की ओर से या रिपोर्टकर्ता इकाइयों की ओर से, उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ङ) और उसके अधीन बनाए गए नियमों में वर्णित दस्तावेजों के अभिलेखों के भंडारण, सुरक्षा और पुन:प्राप्त करने का कारबार करता है, अभिहित कारबार या वृत्ति चलाने वाला व्यक्ति समझा जाएगा ।

[फा. सं. पी. 12011/5/2011-एस.ओ. (ई.एस. सेल)]

बि. के. नस्कर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2014

G.S.R. 684(E).—In pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (sa) of sub-section (1) of Section 2 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby notifies that any person carrying on the business, either on its own behalf or on behalf of other reporting entities, of storing, safeguarding and retrieving the records of the documents mentioned in clause (e) of sub-section (1) of Section 12 of the said Act and the rules made thereunder shall be deemed to be a person carrying on designated business or profession.

[F. No. P. 12011/5/2011-S.O. (ES Cell)]

B. K. NASKAR, Under Secy.

3860 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.